न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 74/2011 G.C.M.S. No. 2011/00089 दर्ज दिनांक : 11.11.2011

अपीलार्थिगण:

1. मृत सवाराम पुत्र प्रभुजी, जाति कलबी पटेल के विधिक वारिसान:–
   1/1 गवरीदेवी धर्मपत्नि सवाराम, उम्र 73 वर्ष
   1/2 मंगलाराम पुत्र सवाराम, उम्र 55 वर्ष
   1/3 मुलाराम पुत्र सवाराम, उम्र 50 वर्ष
   1/4 वेलाराम पुत्र सवाराम, उम्र 42 वर्ष
   1/5 मोहनराम पुत्र सवाराम, उम्र 36 वर्ष
   1/6 भैराराम पुत्र सवाराम, उम्र 30 वर्ष, सभी जातिगण कलबी पटेल, निवासीगण सरदारपुरा की ढ़ाणी, तहसील रोहट, जिला पाली।
   1/7 गोगीदेवी पुत्री सवाराम, धर्मपत्नि राजाराम, उम्र 53 वर्ष, जाति पटेल, निवासी भोईवाडा, तहसील आहोर, जिला जालोर।
   1/8 गीतादेवी पुत्री सवाराम, धर्मपत्नि दुदाराम, उम्र 45 वर्ष, जाति पटेल, निवासी किशनगढ़, तहसील आहोर व जिला जालोर।
   1/9 शांतीदेवी पुत्री सवाराम, धर्मपत्नि सुजाराम, उम्र 38 वर्ष, जाति पटेल, निवासी धींगाणा, तहसील रोहट व जिला पाली।
2. केराराम पुत्र प्रभुजी
3. जपूराराम पुत्र प्रभुजी
4. दरगाराम पुत्र प्रभुजी
5. खंगारराम पुत्र प्रभुजी
6. भीमाराम पुत्र प्रभुजी
7. थानाराम पुत्र प्रभुजी सभी जातिगण पीटल, निवासीगण सरदारपुरा की ढ़ाणी, सरहद राणा, तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मृत सवाराम पुत्र हंसाराम के कायम मुकाम :–
   1/1 झपूराराम पुत्र सवाराम
   1/2 चौथाराम पुत्र सवाराम
   1/3 वरदाराम पुत्र सवाराम
   1/4 दीपाराम पुत्र सवाराम, समस्त जातिगण कलबी, निवासीगण सरदारपुरा की ढ़ाणी, तहसील रोहट व जिला पाली।
   1/5 चंपादेवी पुत्री सवाराम पत्नि मोतीराम, जाति कलबी, निवासी राणा, तहसील रोहट व जिला पाली।
   1/6 सीतादेवी पुत्री सवाराम पत्नि लूंबाराम, जाति कलबी, निवासी राणा, तहसील रोहट व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2010 बअनवान सवाराम पुत्र प्रभु वगैरह बनाम सवाराम पुत्र हंसाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2011

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पैरोकार–

1. श्री दौलत मकवाणा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 24.09.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2010 बअनवान सवाराम पुत्र प्रभु वगैरह बनाम सवाराम पुत्र हंसाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2011 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलार्थी वादीगण ने प्रतिवादी रेस्पोंडेंट के विरूद्ध राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इन अभिवचनों के साथ पेश किया कि प्रतिवादी रेस्पोंडेंट ने ग्राम सरदारपुरा की ढ़ाणी में खसरा नंबर 224 रकबा 38 बीघा 9 बिस्वा बारानी भूमि वादी अपीलार्थीगण की खातेदारी की काश्त व कब्जाशुदा स्थित है एवं इस भूमि में से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर दावा दिनांक 02.08.1999 से करीब 8 वर्ष पूर्व संवत 2047 चैत्र मास में (मार्च सन 1991 में) वाद के संलग्न नक्शा में लाल रंग से दर्शित क्रम संख्या 2, 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर रेस्पोंडेंट प्रतिवादी ने अतिक्रमण कर कांटों की बाड़ बनाकर नाजायज कब्जा कर लिया। इस अतिक्रमित भूमि की उत्तरी भुजा 24 गट्टा, दक्षिणी भुजा 24 गट्टा, पूर्वी भुजा 32 गट्टा व पश्चिमी भुजा 18 गट्टा है तथा अतिक्रमित भूमि के पडौस वाद पद संख्या 2 में दर्ज है। वादी अभिलार्थीगण का वाद में यह अभिवचन भी रहा कि वादग्रस्त भूमि बाड़ा में वाद प्रस्तुति के समय तक कोई निर्माण किया हुआ नहीं था, जिसका फोटो दावा के साथ में पेश किया। बावजूद तकाजा प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर वादी अपीलार्थीगण को वादग्रस्त अतिक्रमित भूमि से प्रतिवादी के अधिनिष्कासित का वाद लाना पड़ा। प्रतिवादी रेस्पोंडेंट का वादोतर में यह प्रतिरक्षा रही कि उसने वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 224 पर अतिक्रमण नहीं किया, उसका बाड़ा ग्राम सरदारपुरा की आबादी में हैं तथा बाड़ा पर 50 वर्षों से कब्जा होकर बाडे में कच्चा–पक्का निर्माण किया हुआ है तथा वादोतर में प्रतिवादी रेस्पोंडेंट का यह भी अभिवचन रहा कि वादग्रस्त बाडा सरदारपुरा की ढाणी के आबादी क्षेत्र में स्थित होने से वाद अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है तथा म्याद बाहर है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी रेस्पोंडेंट की साक्षीगण के बयान में वादग्रस्त भूमि के पडौस व नाप बाबत विरोधाभाषी कथन है। परंतु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उन पर कोई गौर नहीं किया एवं विधिविरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

दी। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट द्वारा रेस्पोंडेंट प्रतिवादी के विरूद्ध वादग्रस्त खातेदारी आराजी में बेदखली हेतु वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2011 को वादपत्र परिसीमा अवधि से बाधित होने के आधार पर खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट वादीगण द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई।

2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने वादपत्र में वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 224 रकबा 38 बीघा 9 बिस्वा में से संलग्न नक्शा अनुसार 10 बिस्वा भूमि पर करीब 8 वर्ष पूर्व यानि संवत 2047 अर्थात मार्च 1991 को कांटों की बाड कर बाडा बनाकर अतिक्रमण किया गया। जिसमें कोई निर्माण किया हुआ नहीं हैं, के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय में प्रकरण में विवाद्यक संख्या 1 विरचित कर इसे वादी के जिम्मे रखा गया। प्रकरण में वादीगण अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादपत्र दिनांक 23.08.1999 को प्रस्तुत किया। उक्त विवाद्यक के निर्णयन में विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य में प्रतिवादी जपूरराम पुत्र सवाजी द्वारा अपने बयानों में वादी की जमीन पर केस दायर होने से 3–4 वर्ष पहले नाप कराने व कच्चे–पक्के निर्माण की बात मंजूर करने, सर्वेयर रिपोर्ट दिनांक 14.08.1999 में पक्के निर्माण मौका पर नहीं होना बताने एवं प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने जिससे कब्जा 12 वर्ष पूर्व से रहा हों, साबित हों, के आधार पर उक्त विवाद्यक वादी अपीलांट के पक्ष में निर्णित किया गया। अर्थात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह स्वीकार किया गया कि रेस्पोंडेंट प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी आराजी पर विधिविरूद्ध कब्जा किया हुआ है, जो वाद दायर करने से 12 वर्ष पुराना नहीं हैं। अतः उक्त विवाद्यक में पारित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

3. विवाद्यक संख्या 2 वस्तुतः विवाद्यक संख्या 1 की पुनरावृति है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक यह अंकित करते हुए कि वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आराजी होना प्रमाणित है। परंतु वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी द्वारा निर्मित संरचना वर्ष 1991 से 12 वर्ष पूर्व बनाया जाना भी प्रमाणित होता है एवं वादीगण द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही प्रतिवादी के विरूद्ध नहीं करने से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कब्जे में वादीगण की सहमति रही होगी, के आधार पर उक्त विवाद्यक वादी अपीलांट के विरूद्ध निर्णित किया गया। हमारा विनम्र मत है कि प्रथम तो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा किसी भी साक्ष्य का विवेचन किए बिना तथा कोई भी कारण दर्शित किए बिना उक्त विवाद्यक सरसरी तौर पर वादी के विरूद्ध निर्णित किया गया। जबकि सारवान रूप से इसी से संबंधित विवाद्यक संख्या 1 के निर्णयन में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा निर्मित वाद दायर करने से 12 वर्ष पुरानी नहीं हैं। अर्थात वादपत्र म्याद बाहर नहीं हैं। वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही नहीं करने के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा प्रतीत होना मानना कि कब्जा वादी की सहमति से रहा हों, पूर्णतया आधारहीन व विधिविरूद्ध निष्कर्ष है। चूंकि यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा वादी की खातेदारी आराजी पर वादी की सहमति के बिना कब्जा किया गया। जो वादपत्र प्रस्तुत करने से 12 वर्ष पुराना नहीं हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रतिवादी का कब्जा विधिविरूद्ध है। जिसे बेदखल करने का वादीगण कानूनन अधिकारी है। अतः उक्त विवाद्यक बखूबी साबित होने से इसके संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णयन अपास्त करते हुए इसे वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

4. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरचित विवाद्यक संख्या 3 वादपत्र म्याद बाहर होने से संबंधित है। जिसे प्रतिवादीगण के जिम्मे रखा गया है। उक्त विवाद्यक वस्तुतः विवाद्यक संख्या 1 से सारवान रूप से संबंधित है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित किया है। अर्थात वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा वादपत्र प्रस्तुत करने से 12 वर्ष पुराना नहीं होना साबित माना है। लेकिन विवाद्यक संख्या 3 बिना किसी साक्ष्य का विवेचन किए व बिना कोई कारण दर्शित किए वादपत्र कालावधि में पेश नहीं किए जाने का अंकन करते हुए उक्त विवाद्यक वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित करते हुए वादपत्र म्याद बाहर होना अंकित किया है। हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय का उक्त विवेचन व निर्णयन साक्ष्य की समुचित विवेचना किए बिना तथा विवाद्यक संख्या 1 के निर्णयन से परस्पर विरोधाभासी है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन में वर्णित साक्ष्य व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य विशेष रूप से प्रतिवादी साक्ष्य में प्रतिवादी की स्वीकारोक्ति के आधार पर तथा प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाने, जिससे यह विश्वास हो कि प्रतिवादीगण का कब्जा वादपत्र प्रस्तुत किये जाने के 12 वर्ष पूर्व से रहा हों। अतः वादपत्र कालावधि बाधित साबित नहीं होकर लिहाजा विवाद्यक संख्या 3 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त करते हुए उक्त विवाद्यक बखूबी साबित होने से वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

5. विवाद्यक संख्या 5 वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। जो प्रतिवादीगण के जिम्मे था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार रोहट की रिपोर्ट के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि होना माना है। जो अभिलेख से भी स्पष्ट है तथा इस आधार पर उक्त विवाद्यक प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया गया है। जो विधिसम्मत व उचित है।

6. अतः उपर्युक्त विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण अपीलांट्स की खातेदारी कृषि भूमि होने, प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजीयात पर 1 बीघा 5 बिस्वा भूभाग पर जो वादपत्र के पद संख्या 2 में अंकित है, पर वादीगण की सहमति के बिना विधिविरूद्ध रूप से कब्जा करने तथा उक्त कब्जा वादपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 12 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होने से वादीगण अपीलांट्स उक्त विधिविरूद्ध अतिक्रमण को बेदखल करवाने के कानूनन अधिकारी होने से अपील अपीलांट व वादपत्र बखूबी साबित होने से तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2010 बअनवान सवाराम पुत्र प्रभु वगैरह बनाम सवाराम पुत्र हंसाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2011 को अपास्त करते हुए वादी वादीगण बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर तहसील रोहट ग्राम सरदारपुरा की ढ़ाणी में स्थित वादीगण की खातेदारी वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 224 रकबा 38 बीघा 9 बिस्वा पर प्रतिवादीगण का 1 बीघा 5 बिस्वा रकबे पर वादपत्र के पैरा संख्या 2 अनुसार किए गए विधिविरूद्ध अतिक्रमण से अतिक्रमियों को बेदखल करते हुए कब्जा वादीगण को सुपुर्द किए जाने का आदेश दिया जाता है। संबंधित तहसीलदार राजस्व कार्मिकों का दल गठित करते हुए सर्वप्रथम वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

आराजीयात का सीमांकन किया जाकर मौके से बेदखली करवाते हुए वादीगण अपीलांट्स को कब्जा सुपुर्द करें। यदि आवश्यक हो तो संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त किया जावें। वादपत्र इसी मुताबिक स्वीकार किया जाकर निर्णित व डिक्री किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हों, जो इस निर्णय का भाग होगा। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **24.09.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

डिक्री ब सीगे अपील

(आदेश 41 नियम 35 व्यवहार प्रक्रिया संहिता)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

बइजलास डॉ. भास्कर बिश्नोई (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या : 74/2011 G.C.M.S. No. 2011/00089 दर्ज दिनांक : 11.11.2011

अपीलार्थिगणः

1. मृत सवाराम पुत्र प्रभुजी, जाति कलबी पटेल के विधिक वारिसानः—
   1/1 गवरीदेवी धर्मपत्नि सवाराम, उम्र 73 वर्ष
   1/2 मंगलाराम पुत्र सवाराम, उम्र 55 वर्ष
   1/3 मुलाराम पुत्र सवाराम, उम्र 50 वर्ष
   1/4 वेलाराम पुत्र सवाराम, उम्र 42 वर्ष
   1/5 मोहनराम पुत्र सवाराम, उम्र 36 वर्ष
   1/6 भैराराम पुत्र सवाराम, उम्र 30 वर्ष, सभी जातिगण कलबी पटेल, निवासीगण सरदारपुरा की ढ़ाणी, तहसील रोहट, जिला पाली।
   1/7 गोगीदेवी पुत्री सवाराम, धर्मपत्नि राजाराम, उम्र 53 वर्ष, जाति पटेल, निवासी भोईवाडा, तहसील आहोर, जिला जालोर।
   1/8 गीतादेवी पुत्री सवाराम, धर्मपत्नि दुदाराम, उम्र 45 वर्ष, जाति पटेल, निवासी किशनगढ़, तहसील आहोर व जिला जालोर।
   1/9 शांतीदेवी पुत्री सवाराम, धर्मपत्नि सुजाराम, उम्र 38 वर्ष, जाति पटेल, निवासी धींगाणा, तहसील रोहट व जिला पाली।
2. केराराम पुत्र प्रभुजी
3. जपूराराम पुत्र प्रभुजी
4. दरगाराम पुत्र प्रभुजी
5. खंगारराम पुत्र प्रभुजी
6. भीमाराम पुत्र प्रभुजी
7. थानाराम पुत्र प्रभुजी सभी जातिगण पीटल, निवासीगण सरदारपुरा की ढ़ाणी, सरहद राणा, तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. मृत सवाराम पुत्र हंसाराम के कायम मुकाम :—
   1/1 झपूराराम पुत्र सवाराम
   1/2 चौथाराम पुत्र सवाराम
   1/3 वरदाराम पुत्र सवाराम
   1/4 दीपाराम पुत्र सवाराम, समस्त जातिगण कलबी, निवासीगण सरदारपुरा की ढ़ाणी, तहसील रोहट व जिला पाली।
   1/5 चंपादेवी पुत्री सवाराम पत्नि मोतीराम, जाति कलबी, निवासी राणा, तहसील रोहट व जिला पाली।
   1/6 सीतादेवी पुत्री सवाराम पत्नि लूंबाराम, जाति कलबी, निवासी राणा, तहसील रोहट व जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2010 बअनवान सवाराम पुत्र प्रभु वगैरह बनाम सवाराम पुत्र हंसाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2011

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री दौलत मकवाणा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट तथा श्री मदनदास वैष्णव विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं, तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2010 बअनवान सवाराम पुत्र प्रभु वगैरह बनाम सवाराम पुत्र हंसाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.07.2011 को अपास्त किया जाता है। वाद वादीगण बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर तहसील रोहट ग्राम सरदारपुरा की ढ़ाणी में स्थित वादीगण की खातेदारी वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 224 रकबा 38 बीघा 9 बिस्वा पर प्रतिवादीगण का 1 बीघा 5 बिस्वा रकबे पर वादपत्र के पैरा संख्या 2 अनुसार किए गए विधिविरूद्ध अतिक्रमण से अतिक्रमियों को बेदखल करते हुए कब्जा वादीगण को सुपुर्द किए जाने का आदेश दिया जाता है। संबंधित तहसीलदार राजस्व कार्मिकों का दल गठित करते हुए सर्वप्रथम वादग्रस्त आराजीयात का सीमांकन किया जाकर मौके से बेदखली करवाते हुए वादीगण अपीलांट्स को कब्जा सुपुर्द करें। यदि आवश्यक हो तो संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त किया जावें। बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज दिनांक 24.09.2025 को जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

मुहर अदालत

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
हुक्मनामा	शून्य	शून्य			
मतफर्रिक					
मीजान	शून्य	शून्य	मीजान	शून्य	शून्य

Scanned with OKEN Scanner